रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2017/अग्रहायण 15, 1939
No. 460] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2017/AGRAHAYANA 15, 1939

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2017

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

## (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017

**फा. सं. अनुमोदन ब्यूरो(एबी)/अभातशिप/आरईजी/2016.**—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, फाईल संख्या अनुमोदन ब्यूरो(एबी)/अभातशिप/आरईजी/2016 दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है :–

**संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :**

1. इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 है।

2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2016 (इसके पश्चात् इसे प्रधान विनियम कहा जाएगा) को संशोधित किया जाता है तथा निम्नलिखित खण्डों से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. प्रधान विनियमों का खण्ड 2.15 संशोधित किया जाता है तथा इसे निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थातिप किया जाता है :–

2.15 "प्रभाग" से अभिप्रेत है ;

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प में स्नातकपूर्व कार्यक्रम एवं डिप्लोमा तथा पीजीडीएम/एमबीए/एमसीए में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अधिकतम साठ (60) सीटों का समूह (बैच), जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;

वास्तुकला/आयोजना में स्नातकपूर्व तथा डिप्लोमा कार्यक्रम में अधिकतम चालीस (40) सीटों का समूह(बैच), जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं;

भेषजी में स्नातकपूर्व कार्यक्रम तथा डिप्लोमा में अधिकतम साठ (60) सीटों का समूह (बैच) जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल हैं;

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प वास्तुकला/आयोजना में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अधिकतम तीस (30) सीटों का समूह (बैच) ;

भेषजी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अधिकतम पन्द्रह (15) सीटों का समूह (बैच); तीस (30) सीटें फार्मा–डी, दस (10) सीटें फार्मा–डी. (पोस्ट बैक्यूलरेट)

इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत डिग्री, एमसीए में एकीकृत डिग्री, एमबीए में एकीकृत/दोहरी डिग्री में अधिकतम साठ (60) सीटों का समूह (बैच) ; तथा

प्रबंधन में अध्येतावृति (फैलोशिप) कार्यक्रमों में प्रतिवर्ष अधिकतम बीस (20) सीटों का समूह (बैच)

**5.** प्रधान विनियमों में 2.47 के रूप में नई परिभाषा शामिल की जाती है :

2.47 "अधिसंख्य सीटें" जिनमें टीएफडब्ल्यू, ओसीआई/पीआईओ/विदेशी राष्ट्रीक/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए, पार्श्विक प्रवेश, पीडब्ल्यूडी तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिए समय–समय पर अधिसूचित सीटें शामिल होंगी जो "अनुमोदित प्रवेश क्षमता" की सीमा से अधिक होंगी।

**6.** प्रधान विनियमों के खण्ड 4.2 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.2 (क) विद्यमान संस्थाओं को अनुमोदन का विस्तार ;

(ख) अनुमोदन में विस्तार (ईओए) में वृद्धि ;

(ग) प्रवेश क्षमता में/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (मों) में वृद्धि ;

(घ) एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम जोड़ना ;

(ड़) चालू शैक्षणिक वर्ष में पूर्व में निर्धारित अनुमोदन में आंशिक रोक (ब्रेक) को खत्म कर अनुमोदन को नियमित करना/संस्थान को पूर्व स्थिति की प्राप्ति (रिस्टोरेशन) ;

(च) डिग्री भेषजी संस्थाओं में डिप्लोमा तथा डिप्लोमा भेषजी संस्थानों में डिग्री आरंभ करना

(छ) पीजीडीएम संस्थानों को एमबीए संस्थानों में परिवर्तित करना ;

(ज) द्वितीय पाली के पाठ्यक्रमों को प्रथम पाली के पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करना तथा ;

(झ) अशंकालिक (पार्ट टाईम) पाठ्यक्रम आरंभ करना ;

(ञ) प्रबंधन में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम आरंभ करना ;

(ट) "विदेशी राष्ट्रिक/ओसीआई/पीआईओ/खाड़ी देशों मे कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना ;

(ठ) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बच्चों के लिए अधिसंख्य सीटें आरंभ करना;

(ड) पाठ्यक्रम के नाम में परिवर्तन/प्रवेशक्षमता में कमी/कार्यक्रम तथा/अथवा पाठ्यक्रम को बंद करना ;

(ढ) संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन; तथा

(ण) न्यास/सोसायटी/कम्पनी के नाम में परिवर्तन ;

**7.** प्रधान विनियमों में दिए गए प्रक्रमण शुल्क में संशोधन करके इसे तकनीकी शिक्षा नियामक (टीईआर) प्रभार से प्रतिस्थापित किया जाता है।

**8.** प्रधान विनियमों के खण्ड 4.7 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.7 सभी पाठ्यक्रमों में विदेशी राष्ट्रिकों/बाहरी भारतीय नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (ओसीआई/पीआईओ)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए 15 प्रतिशत अधिसंख्य सीटें होंगी, जिनमें से एक तिहाई सीटें खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। दिए गए पाठ्यक्रमों में खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए आरक्षित श्रेणी की एक तिहाई सीटें खाली रहने की अवस्था में ओसीआई/पीआईओ/विदेशी राष्ट्रिकों के दो तिहाई कोटे में परिवर्तित की जा सकती हैं तथा इन्हें इसके विपरीत भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार के प्रवेश के अंतिम चरण के समाप्त होने के पश्चात् रिक्त बची समस्त सीटों को उक्त कोटे के लिए अभातशिप के अनुमोदन तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार अपेक्षित अवसंरचना को पूरा किए जाने के अध्यधीन विदेशी राष्ट्रिकों/विदेशी भारतीय नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (ओसीआई/पीआईओ)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों से भरी जा सकती है।

यह भी कि, विदेशी राष्ट्रिकों/बाहरी भारतीय नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (ओसीआई/पीआईओ)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए कोटे में रिक्त बची किसी भी सीट को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के प्रवेश के अंतिम चरण के समाप्त होने के पश्चात् रिक्त बची सीटों को अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कोटे के लिए अभातशिप के अनुमोदन पश्चात् तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2018—19 में दिए गए अनुसार अपेक्षित अवसंरचना को पूरा किए जाने के अध्यधीन अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से भरा जा सकता है।

**9.** प्रधान विनियमों के खण्ड 4.17 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.17 सभी आवेदकों को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार खण्डों 4.1 और 4.2 के अंतर्गत यथालागू श्रेणी (यों) के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार एक ही आवेदन (सिंगल एप्लीकेशन) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

खण्ड 4.2 के अंतर्गत किए गए आवेदनों की कमियों सम्बन्धी रिपोर्ट पोर्टल से जारी (जैनरेट) होगी।

आवेदक पोर्टल पर अन्तिम रूप से आवेदन जमा करने तक, पोर्टल पर अपेक्षित ऑनलाईन संशोधन कर सकते हैं।

"सब्मिट" टैब, दबाने के पश्चात्, जब तक आवेदन का प्रक्रमण पूरा नहीं हो जाता, तब तक डाटा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।

आवेदक को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, यथालागू, दस्तावेज संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जमा करने होंगे।

**10.** प्रधान विनियमों के खण्ड 4.21 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.21 (क) इन विनियमों के खण्ड 4.1 के अंतर्गत जमा किए गए सभी आवेदनों के लिए दस्तावेजों सहित आवेदन की हार्ड कॉपी संवीक्षा की तिथि को क्षेत्रीय कार्यलाय मे जमा करनी होगी, ऐसा न कर पाने पर संवीक्षा संचालित नहीं की जाएगी।

(ख) संवीक्षा समिति, उन आवेदकों को, जिन्होंने इन विनियमों के खण्ड 4.1 के अंतर्गत अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, उन्हें अपने प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित करेगी। आवेदकों को, संवीक्षा के समय स्वयं—सत्यापित प्रतियों सहित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह संवीक्षा सूची का अनुपालन करें तथा अनुपस्थित न रहें।

(ग) इन विनियमों के खण्ड 4.2 के (ख), (ग), (घ), (झ) (ञ) (ड) (ढ) और (ण) के अंतर्गत आवेदन करने वाले संस्थानों के संबंध में, संवीक्षा समिति आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तावों का प्रक्रमण करेगी।

जिनके आवेदन इन विनियमों के खण्ड 4.2 के (ङ), (च), (छ), (ज) तथा (ट) के संबंध में प्राप्त हुए हैं उन संस्थानों के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति आयोजित की जाएगी

(घ) ऐसी दो अथवा अधिक न्यास/सोसायटी/कंपनी जिनके शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में एक ही प्रकार के लक्ष्य हैं उनके विलय सहित न्यास/सोसायटी/कंपनी को संबंधित अधिनियमों में निहित कानूनी प्रावधानों के अनुसार नाम में परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी।

(ड़) जिस संस्थान की कुल अनुमोदित प्रवेशक्षमता "अनुमति प्राप्त अधिकतम प्रवेशक्षमता" से कम होगी, उन्हें पोर्टल पर डाले गए "स्व—प्रकटीकरण" के आधार पर "शून्य कमियों" (जीरो डैफिशियन्सी) के अध्यधीन राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एनबीए) के प्रत्यायन के बिना भी "अनुमति प्राप्त अधिकतम प्रवेशक्षमता तक सीटें बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव पर प्रक्रमण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

(च) ऐसे संस्थान जिनके पाठ्यक्रमों में निरंतर अल्पप्रवेश की स्थिति बनी हुई है उनके लिए परिषद् के अनुमोदन से, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

**11.** प्रधान विनियमों के खण्ड 4.29 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.29 (ग) संस्थान/विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन, महिला संस्थाओं का सह—शिक्षा संस्थान में परिवर्तन तथा सह—शिक्षा संस्थानों का महिला संस्थाओं में परिवर्तन, स्थल में परिवर्तन, संस्थान/पाठ्यक्रम/ओं को बन्द करने के लिए संस्थान को सम्बन्धित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) सम्बन्धित कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व जमा करना होगा।

ऐसे विद्यमान संस्थान जिन्होंने संस्थान को बन्द करने के लिए आवेदन किया तथा कुछ कमियों के कारण परिषद् द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया गया हैं; तो संस्थान को उस वर्ष के लिए शून्य प्रवेश क्षमता के साथ अनुमोदन में विस्तार (ईओए) प्रदान किया जाएगा। ऐसे संस्थान सभी विद्यार्थियों के उत्तीर्ण (पास) हो जाने अथवा नजदीकी

अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पुनःवितरित कर दिए जाने के पश्चात् सभी संगत दस्तावेज जमा करेगें तथा आधिकारिक तौर पर संस्थान को बन्द कर सकेंगे।

किसी संस्थान द्वारा बंद करने के लिए किया जाने वाला आवेदन उस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे संबंधित कार्यक्रम की अवधि, जिस अवधि में संस्थान द्वारा अनिवार्य दस्तावेज जमा किए जाने चाहिएं तक वैध रहेगा। अन्यथा, अभातशिप संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/मंडल/संघराज्य/क्षेत्र को सूचित करते हुए संस्थान को बंद कर देगी और इसके संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर देगी।

**12.** प्रधान विनियमों के खण्ड 4.31 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.31 (क) आवेदक, तकनीकी संस्था के नाम का इस प्रकार प्रयोग नहीं करेगा कि तकनीकी संस्था के नाम का संक्षिप्त रूप आईआईएम अथवा आईआईटी अथवा आईआईएससी अथवा एनआईटी अथवा अभातशिप अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) अथवा भारत सरकार (जीओआई) बनता हो। आवेदक, सरकार, भारत (इंडिया), भारतीय (इंडियन), राष्ट्रीय (नेशनल), अखिल भारतीय (ऑल इंडिया), अखिल भारतीय परिषद्, आयोग जैसे शब्दों का अथवा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निषिद्ध अन्य नामों का प्रयोग तकनीकी संस्था के नाम में कही भीं नहीं करेगा। परंतु यह भी कि, उपर्युक्त प्रतिबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि तकनीकी संस्था भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है अथवा इसका नाम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ख) आवेदक/संस्थान एक ही राज्य में स्थित किसी विद्यमान संस्थान के नाम का प्रयोग भी नहीं करेगा।

**13.** प्रधान विनियमों के खण्ड 4.35 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.35 आवेदक तकनीकी संस्थाओं से परिषद् को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित जानकारी तथा दस्तावेज सही तथा पूर्ण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। यदि, दी गई जानकारी अथवा परिषद् को प्रदान किए गए दस्तावेज गलत, अपूर्ण पाए जाते हैं, और/अथवा आवेदक तकनीकी संस्थाएं वास्तविक जानकारी को प्रकट करने में असफल रहती हैं और/अथवा उन्होंने जानकारी छिपाई है/उसका गलत निर्वचन किया है, तो परिषद् इस संबंध में कार्रवाई करेगी, जिसमें अनुमोदन वापस लेना और/अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई करना शामिल हैं, जो, आवेदक तकनीकी संस्थाओं के विरूद्ध किए जाने के लिए आवश्यक समझी जाएं।

यदि जमा किया गया कोई भी दस्तावेज जाली पाया जाता है तो संस्थान के प्राचार्य तथा न्यास/सोसायटी/कंपनी के अध्यक्ष/सचिव के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

**14.** प्रधान विनियमों में खण्ड 4.45 के रूप में नया खण्ड शामिल किया जाता है :

4.45 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए जमा किए गए आवेदनों पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित की गई प्रक्रिया तथा एनएसक्यूएफ विनियमों तथा "समवय" में समय–समय पर अधिसूचित किए गए अन्य सन्नियमों एवं मानको के अनुसार प्रक्रमण किया जाएगा।

**15.** प्रधान विनियमों के खण्ड 5.1 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता हैः

5.1 कार्यकारिणी समिति के निर्णय से यदि कोई संस्था/आवेदक व्यथित हैं तो वे कमियों को पूरा करने के संबंध में, **अस्वीकृति पत्र (एलओआर) अपलोड कर दिए जाने की तिथि के 7 दिन के भीतर** परिषद् के समक्ष केवल एक बार अपील कर सकेंगे। आवेदकों/संस्थाओं द्वारा जमा की गई ऐसी सभी अपीलों को स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। परिषद् का अंतिम निर्णय कैलेण्डर वर्ष के 30 अप्रैल तक अथवा उससे पूर्व अपलोड कर दिया जाएगा।

**16.** प्रधान विनियमों के खण्ड 10.3 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

10.3 **संकायः छात्र अनुपात की पूर्ति न होना, शिक्षण स्टाफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हताओं का अनुपालन न किया जाना**

ऐसी संस्थाएं, जो 12 माह से अधिक के लिए यथानिर्दिष्ट शिक्षण स्टॉफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हताओं का अनुपालन नहीं कर रही हैं, तथा संकाय : छात्र अनुपात का अनुरक्षण नहीं कर रही हैं, वे परिषद् द्वारा निम्नलिखित दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक हेतु दायी होंगी :

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अनिवासी भारतीयों तथा अधिसंख्य सीटों, यदि कोई हों, के लिए अनुमोदन का निलम्बन।
- संस्वीकृत प्रवेश क्षमता में कमी।
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए संबंधित पाठ्यक्रम (ओं) में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति।
- संबंधित पाठ्यक्रम (ओं) के लिए अनुमोदन वापस लेना।
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना।

परिषद् संस्थान के विरूद्ध स्टॉफ को इलैक्ट्रानिक कलीयरिंग सर्विस (ईसीएस) द्वारा राष्ट्रीकृत बैंक के माध्यम से वेतन का नियमित रूप से समय पर एवं पूरा भुगतान न किए जाने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई आरंभ कर सकती है। संस्थाएं किसी भी संकाय सदस्य के मूल शैक्षणिक/व्यावसायिक दस्तावेजों को एकत्रित करने/रोक कर रखने के लिए परिषद् द्वारा उन पर दी गई कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक दण्डात्मक कार्रवाईयाँ किए जाने हेतु दायी होगीं।

**17.** प्रधान विनियमों के खण्ड 10.9 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

10.9 **सम्बन्धित राज्य/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क प्रभारित करना**

संस्थाओं को शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि सभी शुल्कों की घोषणा पारदर्शिता के साथ पोर्टल पर करनी होगी तथा कड़ाई से उसका अनुपालन करना होगा। विद्यार्थियों से, तकनीकी संस्था सम्बन्धित राज्य/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक कोई भी अन्य शुल्क (भुगतान/राशि) प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी चाहे यह किसी भी नाम से हो। यदि कोई संस्था उक्त दिशा–निर्देशों का पालन नहीं करती है तो वह परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक हेतु दायी होगी :–

- प्रत्येक राज्य/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से वसूले गए प्रत्येक अधिक शुल्क के लिए प्रति छात्र वसूले गये कुल अधिक शुल्क (फीस) की दोगुनी शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी तथा लिया गया अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थी को वापस लौटाना होगा
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अनिवासी भारतीयों तथा अधिसंख्य सीटों, के लिए अनुमोदन का निलंबन, यदि कोई हो
- संस्वीकृत प्रवेश क्षमता में कमी
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन वापस लेना
- संस्था के अनुमोदन को वापस लेना

**18.** प्रधान विनियमों के खण्ड 10.10 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

10.10 **फीस वापसी के मामले**

(ख) प्रवेश के रद्द होने पर फीस की वापसी के बारे में अभातशिप के दिशा–निर्देशों का पालन न करने वाली अथवा धन–वापसी में देरी करने वाली संस्थाएं, परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक की दायी होंगी :–

- शुल्क (फीस) की वापसी के प्रत्येक मामले के लिए प्रति छात्र से वसूले गए कुल शुल्क के पाँच गुणा के समकक्ष का जुर्माना उद्ग्रहित किया जाएगा।
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए, अनिवासी भारतीयों के लिए सीटों तथा अधिसंख्य सीटों के लिए अनुमोदन का निलंबन, यदि कोई हों।
- संस्वीकृत प्रवेश क्षमता में कमी।
- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति।
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन की वापसी।

**19.** प्रधान विनियमों के खण्ड 10.13 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

10.13 **अनुमोदन वापस लेने के मामले को छोड़कर दण्डात्मक कार्रवाई के विरूद्ध पूर्वास्थिति की प्राप्ति (रिस्टोरेशन) की प्रक्रिया**

संस्थान प्रवेशक्षमता के लिए पूर्वस्थिति की प्राप्ति (रिस्टोरेशन) हेतु आवेदन करेगा तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उस पर प्रक्रमण किया जाएगा।

**20.** प्रधान विनियमों के खण्ड 10.14 को संशोधित करके निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है :

10.14 **एफडीआर जारी करना**

परिपक्वता (मैच्योरिटी) के बाद एफडीआर के नवीनीकरण की अनुमति नहीं है। तथापि, स्वतः नवीनीकरण (आटो रिनेवल) के मामले में एफडीआर छुड़ाने के लिए संबंधित बैंक की टिप्पणी प्राप्त करनी होगी।

यदि किसी भी संस्थान का किसी भी सरकारी निकाय/बैंक के साथ कोई भी वित्तीय ग़बन है, तो संस्थान को एफडीआर तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक की संस्थान को इस प्रकार के निकाय से अनापत्ति

प्रमाण–पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं हो जाता है। संबंधित पार्टियों द्वारा मामले के निपटान के बाद ही अभातशिप द्वारा उपयुक्त तथा परिषद् के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

यदि कोई संस्थान/न्यास/सोसाईटी एफडीआर से संबंधित नियमों का उल्लंघन करती है, तो परिषद् उचित दण्डात्मक कार्रवाई करेगी।

ऐसी संस्थाओं के मामले में जिनके द्वारा एफडीआर के परिपक्व (मैच्योर) होने से पूर्व उसे छुड़ा लिया जाता है अथवा एलओए के समय पर अपेक्षित एफडीआर सृजित नहीं की जाती है तो उनपर शास्ति के रूप में एफडीआर के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि की शास्ति लगाई जाएगी।

**21.** प्रधान विनियमों में 10.15 के रूप में एक नया खण्ड शामिल किया जाता है :

10.15 **अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सत्यापन के लिए विशेशज्ञ दौरा समिति को दौरा करने की अनुमति न देने वाले संस्थान**

जो संस्था अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सत्यापन के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति का दौरा करवाए जाने हेतु अनुमति नहीं देती हैं वह परिषद् द्वारा नीचे दी गई दण्डात्मक कार्रवाईयों में से एक अथवा अधिक कार्रवाई किए जाने हेतु दायी होंगी।

- एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश नहीं (नो एडमिशन)
- संस्थान के अनुमोदन को वापिस लेना

**22.** प्रधान विनियमों में 10.16 के रूप में एक नया खण्ड शामिल किया जाता है :

10.16 **सहयोग से तथा ट्वीनिंग कार्यक्रमों में नियमों का उल्लंघन किए जाने के मामले**

क) यदि कोई विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दी गई शर्तों में से किसी का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो परिषद् स्थाई सुनवाई समिति तथा स्थाई अपीलिय समिति के माध्यम से सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा भारत में अपना डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए उस विश्वविद्यालय/संस्थान को ट्वीनिंग कार्यक्रम चलाने के लिए दिए गए अनुमोदन को वापस ले लेगी तथा ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान को भारत में केन्द्र खोलने अथवा किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान के साथ सहयोगी व्यवस्था के साथ प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी।

ख) परिषद्–विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आरबीआई सहित संबंधित एजेंसी को इस निर्णय के बारे में सूचित करेगी तथा इन एजेंसियों को निम्न में से कोई एक अथवा सभी उपाय करने का परामर्श देगी

- उल्लिखित विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था के कर्मचारियों/शिक्षकों को वीजा देने हेतु इन्कार करना/वीजा वापस लेना।
- भारत से उनके स्वदेश में पूंजी स्थानांतरित करने पर रोक लगाना।
- विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान के ट्वीनिंग कार्यक्रमों के अनुमोदन को वापस लेने के संबंध में तथा इसके परिणामों के बारे में जन सामान्य को सूचित करने हेतु।

ग) यदि परिषद् के ध्यान में यह आता है कि, वह विदेशी विश्वविद्यालय भारत में सीधे अथवा किसी भारतीय भागीदार के सहयोग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डॉक्टोरल स्तर के कार्यक्रम चला रहा है तो परिषद् भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत न्यायभंग, प्रवंचना, कदाचार, धोखाधड़ी के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई आरंभ करेगी।

घ) यदि एक बार ट्वीनिंग कार्यक्रम के लिए अनुमोदन को वापस ले लिया जाता है तो परिषद् संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के सहयोग से ऐसे कार्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों को परिषद् से अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं में पुनः आबंटित करेंगी। ऐसे मामलों में संस्थान को ऐसे विद्यार्थियों से एकत्रित किए गए पूरे शुल्क को उस संस्थान को लौटाना होगा जिसमें उन विद्यार्थियों को समायोजित किया जाता है।

ड़) ऐसे विदेशी संस्थानों को कम से कम अगले तीन वर्षों तक किसी अन्य केन्द्र/संस्थान के साथ सहयोग करने अथवा भारत में सहयोगी व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

डॉ. एम. पी. पूनियां, उपाध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./329/17 (162)]

***अस्वीकरण :*** *प्रस्तुत अधिसूचना मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित अधिसूचना मान्य होगी।*

**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2017

**All India Council for Technical Education**

**(Grant of Approvals for Technical Institutions) (1st Amendment) Regulations, 2017**

**F. No. AB/AICTE/REG/2016.—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of** Section 23 read with Section 10 and Section 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), All India Council for Technical Education (AICTE) makes the following Regulations to amend the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2016 published vide F. No. AB/AICTE/REG/2016 dated 30th November 2016 in Gazette notification.

**Short Title, Application and Commencement**

**1.** These Regulations shall be called the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for the Technical Institutions) (1st Amendment) Regulations, 2017.

**2.** They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**3.** All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for the Technical Institutions) Regulations, 2016 (hereinafter to be called the Principal Regulation) shall stand amended and substituted by the following Clauses.

**4.** Clause 2.15 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

2.15 "Division" means

A batch of maximum of Sixty (60) seats in Under Graduate Programme and Diploma in Engineering/ Technology/ Hotel Management and Catering Technology/ Applied Arts and Crafts, Post Graduate Programme in PGDM/ MBA/ MCA excluding supernumerary seats, if any;

A batch of maximum of Forty (40) seats in Under Graduate and Diploma in Architecture/ Planning Programme excluding supernumerary seats, if any;

A batch of maximum of Sixty (60) seats in Under Graduate and Diploma in Pharmacy Programme including supernumerary seats, if any;

A batch of maximum of Thirty (30) seats in Post Graduate Programme in Engineering/ Technology/ Hotel Management and Catering Technology/ Applied Arts and Crafts/ Architecture/ Planning;

A batch of maximum of Fifteen (15) seats in Post Graduate Programme in Pharmacy, Thirty (30) seats in Pharm.D., Ten (10) seats in Pharm.D. (Post Baccalaureate);

A batch of maximum of Sixty (60) seats in Integrated Degree in Engineering and Technology, Integrated Degree in MCA and Integrated/ Dual Degree in MBA; and

A maximum of Twenty (20) seats per year in fellowship Programme in Management.

**5.** A new Definition is inserted as 2.47 in the Principal Regulations:

2.47 "Supernumerary Seats" includes TFW, OCI/ PIO/ Foreign Nationals/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries, Lateral entry, PwD and J&K Seats notified from time to time, over and above the "Approved Intake".

**6.** Clause 4.2 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

4.2 a. Extension of Approval to the existing Institutions;

b. Extended EoA;

c. Increase in Intake/ Additional Course(s);

d. Addition of Integrated/ Dual Degree Course;

e. Continuation of approval after a break in the preceding Academic Year/ Restoration

f. To Start Diploma in Degree Pharmacy Institutions and Vice-Versa;

g. Conversion of PGDM Institutions into MBA Institutions;

h. Conversion of Second Shift Courses into First Shift Courses;

i. Introduction of Part Time Programmes;

j. Introduction of Fellowship Programme in Management;

k. Introduction of Supernumerary Seats for Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India/ Persons of Indian Origin (OCI/ PIO)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries ;

l. Introduction of seats for sons/ daughters of NRIs;

m. Change in name of the Course/ Reduction in intake/ Closure of Programme and/ or Course;

n. Change in name of the Institution or Affiliating University/Board; and

o. Change in name of the Trust/ Society/ Company;

**7.** Processing fee of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by Technical Education Regulatory (TER) Charges.

**8.** Clause 4.7 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

4.7 There shall be 15% supernumerary seats for Foreign Nationals / Overseas Citizen of India/ Persons of Indian Origin (OCI/PIOs) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries in all the Courses, of which 1/3$^{rd}$ shall be reserved for Children of Indian Workers in the Gulf Countries. Any vacant seat in a given Course, out of 1/3$^{rd}$ seats reserved for Children of Indian Workers in the Gulf Countries shall be reverted to the quota of 2/3$^{rd}$ meant for OCI/PIO / Foreign Nationals and vice-versa. Beside this, any vacant seat after the last round of the admission of the concerned State Government, may be filled with Foreign Nationals / Overseas Citizen of India/ Persons of Indian Origin (OCI/PIOs) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries subject to approval from AICTE for the above quota and fulfillment of requisite infrastructure as per the Approval Process Handbook.

Further, any vacant seat in the "Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India/ Persons of Indian Origin (OCI/ PIO)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries" after the last round of the admission of the concerned State Government/ UT, may be filled with NRI subject to approval from AICTE for the NRI category and fulfillment of requisite infrastructure as per the Approval Process Handbook.

**9.** Clause 4.17 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

4.17 All applicants shall apply online through a single application under the applicable category(ies) under Clauses 4.1 and 4.2, as per the conditions mentioned in Approval Process Handbook.

The portal permits the generation of deficiency report for applications under Clause 4.2.

The applicants shall make necessary corrections online, till the final submission of the application on the portal.

After pressing the "submit" tab, the data shall not be allowed for any further correction, till the processing of application is completed.

Applicants have to submit documents, as applicable, to the concerned Regional Office as specified in the Approval Process Handbook.

**10.** Clause 4.21 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

4.21 a. Applications under Clause 4.1 shall submit the hard copy of the application along with the documents on the date of Scrutiny at the Regional Office, failing which the Scrutiny shall not be conducted.

b. The Scrutiny Committee shall invite the Institutions applied under Clause 4.1 of these Regulations, for presentation of their proposals. Applicants shall produce **ALL** the original documents along with self-attested copies at the time of Scrutiny. Applicants are advised to adhere to Scrutiny schedule and not to remain absent.

c. For Institutions applied under Clause 4.2 (b), (c), (d), (i), (j), (m), (n) and (o) of these Regulations, the Scrutiny Committee shall process the applications based on the documents submitted by the applicant.

For Institutions applied under Clause 4.2 (e), (f), (g), (h) and (k) of these Regulations, an Expert Visit Committee shall be conducted to the Institutions.

d. Change in name of the Trust/ Society/ Company including merging two or more Trust/ Society/ Company having the same common objects of education etc. shall be permitted as per the respective laws laid down in the Acts.

e. Institutions having total Approved Intake less than the "Maximum Intake Allowed" shall be permitted to increase up to the "Maximum Intake Allowed" without NBA accreditation subject to "Zero Deficiency" based on Self-Disclosure on the Portal. Scrutiny Committee shall process the proposals based on the documents submitted by the applicant.

f. For Institutions having Courses with meager admission consistently, appropriate action as specified in the Approval Process Handbook shall be initiated with the approval of the Council.

**11.** Clause 4.29 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

4.29 c. For Change in name of Institution/University, Conversion from Women's into Co-Ed and Vice-versa, Change in site, Closure of Institution/Course(s), the applicant shall submit the relevant NOCs at least before 31st December of the respective Calendar Year.

Applications of existing Institutions who have applied for Closure of Institution, and if such application is not approved by the Council due to certain deficiencies; the Institution shall be given EoA with ZERO Intake for that year. Such Institutions shall submit all relevant documents after all the students have passed out or redistributed to nearby AICTE approved Institutions and seek official closure of the Institution.

The application for the Closure of Institution shall be valid for the duration of the respective programme offered by the Institution within which the Institution should submit the required mandatory documents. Else, AICTE may close the Institution with the intimation to the Affiliating University/Board and the State Government/Union Territory and shall issue a Public Notice regarding the same.

**12.** Clause 4.31 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

4.31 a. The applicants shall not name the Technical Institution in such a way that the abbreviated form of the name of the Technical Institution becomes IIM or IIT or IISc or NIT or AICTE or UGC or MHRD or GoI. The applicant shall also not use the word(s) Government, India, Indian, National, All India, All India Council, Commission anywhere in the name of the Technical Institution and other names as prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use), Act, 1950. Provided that the restrictions mentioned above shall not be applicable, if the Technical Institution is established by Government of India or its name is approved by the Government of India.

b. Applicants/ Institutions shall not use the names of the Existing Institutions within the State.

**13.** Clause 4.35 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

4.35 The applicants are expected to provide the Council true and complete information and documents required for various purposes. If the information given and/or the documents

provided to the Council are found to be false, incomplete and/or the applicants have failed to disclose factual information and/or suppressed/misrepresented the information, the Council shall initiate action including Withdrawal of Approval/or any other action as deemed necessary against the applicants.

If any document submitted is found to be fraudulent, criminal case shall be filed against the Principal of the Institution and the Chairman/ Secretary of the Trust/Society/ Company.

**14.** A new Clause is inserted as 4.45 in the Principal Regulations:

4.45 The applications for introduction of Vocational Education Courses shall be processed as per the procedure prescribed in the Approval Process Handbook and all other norms and standards as notified in NSQF Regulations and SAMVAY from time to time.

**15.** Clause 5.1 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

5.1 An Institution/applicant, if aggrieved by the decision of Executive Committee shall have the right to appeal once to the Council, **within 7 days from the date of uploading of LoR.** All the appeals submitted by the Applicants/Institutions shall be placed before the Standing Appellate Committee. The final decision of the Council shall be uploaded on or before 30th April of the Calendar Year.

**16.** Clause 10.3 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

10.3 **Non-fulfillment of faculty student ratio, not adhering to pay scales and/or qualifications prescribed for teaching staff**

Institutions not adhering to pay scales and/or qualifications prescribed for faculty for more than 12 months and not maintaining prescribed faculty student ratio shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council.

- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any, for one Academic Year.
- Reduction in sanctioned intake
- No admission in respective Course(s) for one Academic Year
- Withdrawal of approval in the respective Course(s)
- Withdrawal of approval of the Institution

The Council may initiate penal action for not regularizing and ensuring the timely and full payment of the salary of the staffs through Electronic Clearing Service (ECS) by nationalized banks. The Institution collecting/ withholding any of the original educational/professional certificates of a faculty member shall be liable to any one or more of the above said punitive actions by the Council.

**17.** Clause 10.9 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

10.9 **Charging excess fee than the fee prescribed by the concerned State/ Fee Regulatory Committee**

The institutions shall have to announce all fees such as tuition fee, examination fee etc. on their portal transparently and adhere the same strictly. No Technical Institution shall collect any other fee (Payment/ Amount) from the students, whatever name it may be called in addition to the fee fixed by the State/ Fee Regulatory Committee. If any Institution does not follow the said guidelines, the Institution shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Penalty for charging excess fee than the fee prescribed by the concerned State/ Fee Regulatory Committee levied against each case shall be twice the total fee collected per student and excess fee collected shall be refunded to the student
- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any for one

Academic Year

- Reduction in sanctioned intake
- No admission in one / more Courses for one Academic Year
- Withdrawal of approval for Programme / Course
- Withdrawal of approval of the Institution

**18.** Clause 10.10 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

10.10 **Refund cases**

b. Institutions not following guidelines issued by the Council regarding refund of fee on cancellation of admissions or delaying refunds shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- Fine for non-compliance of refund of fee levied against each case shall be five times the total fee collected per student
- Suspension of approval for NRI and supernumerary seats, if any, for one Academic Year
- Reduction in sanctioned intake
- No admission in one/more Courses for one Academic Year
- Withdrawal of approval for Programme/Course

**19.** Clause 10.13 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

10.13 **Procedure for restoration against punitive action except in case of Withdrawal of Approval**

Institution shall have to make an application for restoration of intake and the same shall be processed as per the Approval Process Handbook.

**20.** Clause 10.14 of the Principal Regulations shall stand amended and substituted by the following Clause:

10.14 **Release of FDR**

Renewal of FDR after maturity is not permitted. However, in case of auto renewal, the remarks of the concerned Bank should be obtained for seeking the release of FDR.

If an Institution has any financial embezzlement with Government Bodies/Banks, then FDRs shall not be released to the Institution till the NOC from such body is received. AICTE shall initiate an appropriate action only after the issue is settled by the parties concerned and as per the norms of the Council.

In case Institution/ Trust/ Society/ Company violates the FDR related norms, the Council shall initiate appropriate penal action.

In case of Institutions where FDRs are encashed before the date of maturity or non-creation of required FDR at the time of LoA, a penalty of 10% of the value of the FDR shall be imposed as penalty.

**21.** A new Clause is inserted as 10.15 in the Principal Regulations:

10.15 **Institutions not allowing Expert Visit Committee for physical verification of infrastructural facilities**

Institution not allowing Expert Visit Committee for physical verification of infrastructural facilities shall be liable to any one or more of the following punitive actions by the Council:

- No admission for one Academic Year
- Withdrawal of approval of the Institution

**22.** A new Clause is inserted as 10.16 in the Principal Regulations:

10.16 **Violation of norms in case of Collaboration and Twinning Programmes**

a. If a Foreign University/ Institution fails to comply with any of the conditions as contained in the Approval Process Handbook, the Council after giving reasonable opportunity of being heard through Standing Hearing Committee and Standing Appellate Committee shall withdraw the approval of the Twinning Programme granted to such University/ Institution to offer their Diploma/ Post Diploma/ Degree/ Post Graduate Degree/ Post Graduate Diploma in India and forbid such Foreign University/ Institution to either open Centres or enter into any collaborative arrangement with any University/ Institution in India.

b. The Council shall also inform the concerned agencies including Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, RBI of such decisions and advise these agencies to take any or all of the following measures

- Refusal/ withdrawal for grant of visa to employees/ teachers of the said Foreign University/ Institution.
- Stop repatriation of funds from India to home Country.
- Informing the public about the withdrawal of approval of the Twinning Programme with Foreign University/ Institution and the consequence thereof.

c. In case, it comes to the notice of the Council, that a Foreign University is running Diploma/ Post Diploma/ Degree/ Post Graduate Degree/ Post Graduate Diploma/ Doctoral level Programme in technical education in India directly or in collaboration with an Indian partner without obtaining approval, the Council shall initiate immediate action under the Indian Penal Code for Criminal breach of Trust, misconduct, fraud, cheating, etc.

d. Once the approval of the Twinning Programme is withdrawn, the Council shall make attempt in co-ordination with concerned State Government/ UT to re-allocate the students enrolled in such Programmes to other approved Institutions of the Council. The Institution in such cases shall have to return the entire fee collected from such students to the Institutions in which such students are accommodated.

e. Such Foreign Institutions shall not be allowed to collaborate with any other Centre/ Institution or enter into a collaborative arrangement in India for at least next 3 years.

Dr. M. P. POONIA, Vice Chairman

[ADVT.- III/4/Exty./329/17 (162)]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.12.06 22:19:34 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.